

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :- प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.
अपील संख्या :- 13/20

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट

—: निर्णय :-

दिनांक :-06.09.2021

गुड्डीदेवी और सुनयना के बयानों तथा उपरोक्त दस्तावेजों की बुनियाद पर अदालत को समाधान है कि सोनिया और सुनयना एक ही महिला है।
इसलिए धारा 151 सीपीसी के तहत प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए यह फैसला किया जाता है कि विवादित आराजी चक 1 एचडब्ल्यूएम खाजूवाला के मुरब्बा नं0 5/30 के किला नं0 11 ता 19 और मु0नं0 5/38 (24.10 बीघा) के राजस्व रिकॉर्ड में सोनिया पुत्री मैनपाल की जगह सोनिया उर्फ सुनयना पुत्री मैनपाल दर्ज किया जाए। तहसीलदार खाजूवाला फैसले के मुताबिक अमल दरामद करें।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

